जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2896 दिनांक 02-04-2016

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 8 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार <u>अवध माधव कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर</u> को <u>सत्र 2015-16</u> के लिये प्रस्तावित/संचालित <u>बी.एड. पाठ्यक्रम</u> के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय में 28(17) के अन्तर्गत प्राचार्य तथा समस्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।
2. पुस्तकालयाध्यक्ष, क्रीडा अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों आदि की नियुक्ति तत्काल की जाए।
3. सभी कर्मचारियों को भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाये।
4. महाविद्यालय का नाम फ्लैक्स बैनर के स्थान पर स्थाई बोर्ड में लिखवाया जाए।
5. पुस्तकालय में एक्सेसन रजिस्टर विधिवत एन्ट्री करें तथा नियमानुसार 3000 पुस्तकें रखी जाए।
6. साईक्लॉजी तथा साइंस लैब के उपकरण के महाविद्यालय का नाम लिखा जाये एवं प्रोपर स्टॉफ रजिस्टर बनाया जाए।
7. मल्टीपरपज हॉल के लेक्चर स्र्टेंड पर महाविद्यालय का नाम लिख कर हॉल को सुसज्जित करें।
8. ईटी लैब सुसज्जित कर उसमें कम्प्यूटर पर कॉलेज का नाम लिखकर स्टॉक रजिस्टर बनाये तथा इंटरनेट कनेक्शन कम्प्यूटरों में दें।
9. महाविद्यालय की बेबसाईट बनाकर उसमें समस्त जानकारी डालें।
10. एन.सी.टी.ई. एक्ट 2014 का पालन करें।
11. क्लासरूम में सी.सी.टी.व्ही. लगवायें।
12. कॉलेज कोड 27-28 का पालन सुनिश्चित करें।
13. खेल का मैदान विकसित करें।
14. उच्च शिक्षा विभाग की कंडीशन जिसमें भूमि का कय विकय हेतु रजिस्टर फॉर्म्स एवं संस्थाओं द्वारा जारी धारा 21 की अनुमति का उल्लेख है, पूर्ण करें।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, <u>अवध माधव कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, ग्वालियर।</u>
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद